उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-70/2016/2858/37-1-2016-9(90)/2016

लखनऊ: दिनाँक 22 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-आदेश

एतदद्वारा तात्कालिक प्रभाव से श्री राज्यपाल निम्नलिखित पशु चिकित्साधिकारियों को स्वानुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में अंकित पशु चिकित्सालय पर तैनात किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान
1	**2**	**3**
1	डा0 बाबू सिंह, पशु चिकित्साधिकारी, इमलिया, हमीरपुर	पशु चिकित्सालय मोहम्मदाबाद, फर्रूखाबाद।
2	डा0 देवेन्द्र कुमार, पशु चिकित्साधिकारी, चिरूइया, बलिया	पशु चिकित्सालय इमिलिया, हमीरपुर।
3	डा0 रवीन्द्र कुमार, पशु चिकित्साधिकारी, नगवई, एटा	पशु चिकित्सालय आटा, जालौन।
4	डा0 रामकुमार यादव, पशु चिकित्साधिकारी, खानपुर, गाजीपुर	पशु चिकित्सालय गौरा, प्रतापगढ।
5	डा0 दिनेश चन्द्र, पशु चिकित्साधिकारी, साण्डी, हरदोई	पशु चिकित्सालय गोण्डा, अलीगढ।
6	डा0 भगवान सिंह वर्मा, पशु चिकित्साधिकारी पनेहरा, अलीगढ	पशु चिकित्सालय उटवारा, अलीगढ।
7	डा0 सुरेन्द्र सिंह, पशु चिकित्साधिकारी, बरावकेश, फर्रूखाबाद	पशु चिकित्सालय रामपुरा, जालौन।
8	डा0 उत्तम सिंह, पशु चिकित्साधिकारी, बडागॉव, गाजीपुर	पशु चिकित्सालय अगई, प्रतापगढ।
9	डा0 गजेन्द्र प्रताप सिंह, पशु चिकित्साधिकारी, सालपुर, अलीगढ	पशु चिकित्सालय बरियारपुर, महराजगंज।
10	डा0 चन्द्रपाल सिंह सचान, पशु चिकित्साधिकारी, मिर्जापुर, गाजीपुर	पशु चिकित्सालय तौली, बुलन्दशहर।
11	डा0 जितेन्द्र सिंह राजपूत, पशु चिकित्साधिकारी, पैलानी, बाँदा	आई0जेड0, महोबा।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-70/2016/2858(1)/37-1-2016, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- सम्बन्धित अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग द्वारा निदेशक प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग।
4- सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा निदेशक प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग।
5- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा निदेशक प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग।
6- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राहुल सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।